दूरदर्शन पर चल रहे भारतीय और विदेशी चैनल

277. **श्री अजीत जोगी :**
श्री एस० एस० सुरजेवाला :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **वर्तमान में** दूरदर्शन पर चल रहे भारतीय और विदेशी **चैनलों की** संख्या कितनी है;

(ख) इन चैनलों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों को देश के किन-**किन राज्यों** और अन्य देशों में देख जा सकता है;

(ग) **सरकार द्वारा** मध्य प्रदेश में दूरदर्शन केन्द्रों के माध्यम से **इन चैनलों द्वारा** प्रसारित सभी कार्यक्रमों के प्रसारण के लिये क्या-क्या कदम उठाये गये हैं और इस उद्देश्य के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी है;

(घ) क्या सरकार लोक कला, लोक गीतों और लोक नृत्यों के कार्यक्रमों के प्रसारण का विचार भी रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी०एम० इब्राहिम): (क) दूरदर्शन सी०एन०एन० चैनल सहित उन्नीस चैनल वर्तमान में दूरदर्शन पर कोई विदेशी चैनल पारचालित नहीं हो रहा है।

(ख) उपयुक्त डिश एण्टीना प्रणाली का प्रयोग करके सभी चैनलों को देश में सर्वत्र देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, डीडी इण्डिया को पी०ए०एस—4 उपग्रह पर परिचालित होता है, को मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया, तथा मध्य एशिया के कुछ देशों, उत्तरी-अफ्रीका तथा सुदूर पूर्व में देखा जा सकता है।

(ग) मध्य प्रदेश अथवा किसी अन्य राज्य में स्थित केन्द्रों के जरिए इस सभी चैनलों को स्थलीय रूप से उपलब्ध करवाने की वर्तमान में कोई स्कीम नहीं है।

(घ) और (ङ) विभिन्न राज्यों की लोक कला, लोक गीतों और लोक नृत्यों के कार्यक्रम दूरदर्शन पर नियमित रूप प्रसारित किए जाते हैं। कुछ कार्यक्रम जो केवल सुस्पष्टि हैं परन्तु सुविस्तृत नहीं हैं, निम्न प्रकार से हैं:

1. लैसर नोन ट्राइब्स आफ इण्डिया
2. सुरभि
3. फोल्क म्यूजिक एंड डान्सेस आफ डिफेरेन्ट स्टेटस आफ इण्डिया, आदि

Production of Children Films

278. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of INFORMATION & BROADCASTING be pleased to state:

(a) what are the details of the production of children films in the country in the various fields during the last three years; and

(b) what are the specific reasons for non-production of large scale children films in the country?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI C.M. IBRAHIM): (a) The Production of films is lragely in the private sector and no statistics are available regarding the number of films produced in a year. However, according to the Central Board of Films Certification, the number of children's films certified by the Board during each of the last three years is as follows:—

Year	Feature films	Short films
1993	7	2
1994	1	—
1995	7	1

(b) The films meant for children, catering as they do to a specific age group, have a limited market and hence tend to tbe produced in limited numbers.

हिमाचल प्रदेश में हवाई पट्टियों को दिल्ली और देश के अन्य भागों से जोड़ा जाना

279. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्यों में पर्यटन के लिये अधिकाधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में हवाई पट्टियों को दिल्ली और देश के अन्य भागों में इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों द्वारा जोड़ने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी०एम० इब्राहिम): (क) से (ग) इस समय, इंडियन एयरलाइन्स की हिमाचल प्रदेश में किसी प्रकार की सेवा शुरू करने की कोई योजना नहीं है चूंकि राज्य में उपलब्ध हवाई पट्टियां जेट विमानों के प्रचालन हेतु उपयुक्त नहीं हैं। जबकि, इंडियन एयरलाइन्स के विमान बेडे में केवल जेट विमान ही उपलब्ध हैं। तथापि, मै० जैगसन एयरलाइन्स, अर्चना एयरवेज तथा यू०पी० एयरवेज हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की रूचि के स्थलों के लिए प्रचालन कर रहे हैं।

राष्ट्रीय शोक कार्यक्रमों के संबंध में दूरदर्शन के नियम

280. **डा० वाई० लक्ष्मी प्रसाद :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शोक की घोषणा के संदर्भ में दूरदर्शन कार्यक्रमों संबंधी नियम क्या हैं;

(ख) क्या भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी के निधन पर इन नियमों का पालन किया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी०एम० इब्राहिम): (क) राजकीय शोक की अवधि के दौरान दूरदर्शन द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाती है:—

(i) दूरदर्शन इस प्रकार के समाचारों की सरकारी पुष्टि प्राप्त होते ही सामान्य कार्यक्रमों को रोककर संबंधित प्रतिष्ठित व्यक्ति के दहावसान की घोषणा करेगा।

(ii) संबंधित प्रतिष्ठित व्यक्ति के देहान्त की सूचना राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों से विस्तृत रूप से दी जायेगी।

(iii) दूरदर्शन संबंधित दिवंगत व्यक्ति के प्रति श्रृद्धांजलि पर आधारित निधन सूचना संदर्भों तथा उपयुक्त धार्मिक संगीत सहित दिवंगत व्यक्ति के जीवन तथा काल पर आधारित समुचित कार्यक्रम प्रसारित करेगा।

(iv) दूरदर्शन प्रत्येक शोक दिवस पर एक घंटे का विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा।

(v) दूरदर्शन संबंधित प्रतिष्ठित व्यक्ति के अंतिम संस्कार को उपयुक्त कवरेज प्रदान करेगा।

(vi) उपरोक्त विशेष कार्यक्रमों के अलावा दूरदर्शन द्वारा संपूर्ण शोक अवधि के दौरान अन्य समयों पर सामान्य कार्यक्रम प्रसारित किए जायेंगे। तथापि, संपूर्ण शोक अवधि के दौरान कार्यक्रमों का प्रस्तुतीकरण संयमित एवं संतलित रूप से किया जाएगा।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Austerity Measures Regarding Pay and Allowances of Central Government Employees

281. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have decided to resort to Rs. 3,000 crores austerity programmes from the year 1997-98 onwards by freezing real wages and stopping of budgetary support to pay and allowances of Central Government Employees;

(b) whether the Central Trade Union of the Central Government Employees have thretened to go on strike and are viewing this as an ominous signal to the 5th Central Pay Commission which has yet to submit its Report;

(c) if so, the specific details of new guidelines on austerity and fiscal prudence; and

(d) what will be the net saving of 12 months, if the austerity measures are taken as proposed by the Finance Minister?

THE MINISTER OF FINANCE AND THE MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (d) The Government have issued guidelines on 17.6.1996 on expenditure management—fiscal prudence and austerity, which intend to achieve, through control of growth of expenditure and enhancement of return on Govt. equity in Public Sector Enterprises, and not by wage freeze, an annual attrition of Rs. 3000 crores in the expenditure budget of the Central Government. The sailent features of the guidelines include:

(i) review and evaluation of on-going progammes and schemes to determine their continued relevance